

27/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर।
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने में
पर्याप्त अवसर दिये, बतजूद पेश नहीं
किये, अतः वादी का वाद Non-Complain
(अपानना) में खारिज किया जाता है।
पत्रावली जैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

